भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1999
उत्तर देने की तारीख 11 फरवरी, 2026

डेटा सेंटर और क्लाउड सेवाओं द्वारा डेटा सुरक्षा और गोपनीयता मानकों का अनुपालन

1999. डॉ. कलानिधि वीरास्वामीः

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, डेटा सेंटर, क्लाउड सुविधाएं और डिजिटल भुगतान नेटवर्क सहित भारत के डिजिटल बुनियादी ढांचे की वर्तमान स्थिति का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है तथा विश्वसनीय हाई-स्पीड इंटरनेट और ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी के अंतर्गत कितने प्रतिशत ग्रामीण और शहरी क्षेत्र शामिल हैं;

(ग) क्या डिजिटल इंडिया के अंतर्गत सरकार के दावों के बावजूद ग्रामीण और जनजातीय भारत के बड़े भाग में अभी भी विश्वसनीय इंटरनेट कनेक्टिविटी और बुनियादी डिजिटल अवसंरचना का अभाव है;

(घ) क्या भारतनेट परियोजना ने सभी ग्राम पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी के अपने लक्ष्यों को पूरा किया है तथा विलंब को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे है:

(ङ) देश में स्थित डेटा केंद्रों और क्लाउड सेवाओं द्वारा डेटा सुरक्षा और गोपनीयता मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(च) हाल के साइबर हमलों और डिजिटल सेवा व्यवधानों को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में साइबर सुरक्षा और डिजिटल मजबूती को सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) से (ग) भारत का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर दूरसंचार और इंटरनेट सेवाओं में महत्वपूर्ण विस्तार के कारण तेजी से बढ़ा है। 31.12.2025 तक, भारत के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 4जी और

5जी टेक्नोलॉजी के लिए बेस ट्रांससीवर स्टेशन (बीटीएस) की कुल संख्या क्रमशः 20,40,850 और 5,18,854 है। 31.12.2025 तक, देश के 6,44,131 गांवों (भारत के महापंजीयक के आंकड़ों के अनुसार) में से 6,31,814 गांवों में 4जी मोबाइल कनेक्टिविटी है। 30.11.2025 तक, देश में कुल ब्रॉडबैंड उपभोक्ता एक अरब से ज़्यादा हैं।

इसके अलावा, क्लाउड-आधारित ई-सेवाओं की डिलीवरी में तेज़ी लाने के लिए सरकार मेघराज के तहत डिजिटल शासन के हिस्से के रूप में क्लाउड सेवाएं प्रदान कर रही है। भारत में डेटा सेंटर इकोसिस्टम बड़े पैमाने पर निजी और कॉर्पोरेट क्षेत्र द्वारा विकसित, स्वामित्व और संचालित किया जाता है, जिसका अनुमान उद्योग रिपोर्टों के अनुसार 1,280 एमडब्ल्यू है।

(घ) 31.12.2025 तक देश में भारतनेट प्रोजेक्ट के तहत 2,14,904 ग्राम पंचायतों को सेवा के लिए तैयार कर दिया गया है। इसके अलावा, संशोधित भारतनेट प्रोजेक्ट का लक्ष्य देश की सभी ग्राम पंचायतों (जीपी) को कनेक्टिविटी प्रदान करना है, जिसमें मांग के आधार पर लगभग 3.8 लाख बिना ग्राम पंचायत वाले गांवों को कनेक्टिविटी प्रदान करने और वाई-फाई हॉटस्पॉट, फाइबर टू द होम (एफटीटीएच) कनेक्शन जैसी ब्रॉडबैंड सेवाओं का प्रावधान करके उनका उपयोग सुनिश्चित करने के लिए है। मौजूदा नेटवर्क को रिंग टोपोलॉजी में अपग्रेड करना शामिल है।

(ङ) सरकार ने पैनल में शामिल ऐसे क्लाउड सेवा प्रदाताओं के लिए कड़ी सुरक्षा आवश्यकताएं निर्धारित की हैं जो सरकारी डेटा को संभाल रहे हैं, जिसमें क्लाउड सुरक्षा, सेवा प्रबंधन और डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और गोपनीयता मानकों के साथ-साथ अन्य सुरक्षा आवश्यकताओं का अनुपालन शामिल है। ये अनुपालन और मानक जोखिम आकलन, सुरक्षा नियंत्रण, सेवा प्रदायगी, इंसिडेंट मैनेजमेंट, घुसपैठ का पता लगाना, डेटा प्राइवेसी, लॉग रिटेंशन, डेटा एन्क्रिप्शन, एक्सेस कंट्रोल, आदि जैसे ज़रूरी सुरक्षा पहलुओं को कवर करते हैं।

(च) सरकार ने साइबर सुरक्षा को मज़बूत करने और साइबर हमलों को रोकने के लिए कई पहल की हैं, जिनमें अन्य बातों के अलावा, साइबर सुरक्षा घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने के लिए इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम (सीईआरटी-आईएन) को राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में नामित करना और नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर (एनसीसीसी) की स्थापना करना, तैयारी और प्रशिक्षण के आकलन के लिए मॉक ड्रिल आयोजित करना शामिल है।
